अत्यावश्यक

पंचायत आम चुनाव, 2021

पत्र संख्या–प0 नि0 30–239/2021–**3347**

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक– 28 **अगस्त, 2021**

विषय :– **पंचायत आम निर्वाचन 2021 : आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता का कठोरता पूर्वक अनुपालन कराने एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।**

प्रसंग :– **आयोग का संसूचित ज्ञापांक 3146 दिनांक 17.08.2021**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र को संलग्न करते हुए कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 सम्पन्न कराये जाने हेतु अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है। अधिसूचना निर्गत की तिथि से सभी पंचायत निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है, जो संबंधित जिले के अंतिम चरण के विधिवत् रूप से परिणाम घोषणा तक जारी रहेगा।

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 को निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी, जिम्मेदारीपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता का कठोरता से अनुपालन कराया जाये तथा जिस स्तर पर इसका उल्लघन किया जाए उसके विरूद्ध वैधानिक विकल्पों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाय। साथ ही जहाँ विकट/विपरीत स्थिति हो वहाँ विडियों रिकॉर्डिंग कराया जाये।

आदर्श आचार सहिंता से संबंधित प्रतिवेदन हेतु डिजिटाईज्ड प्रपत्र तैयार किये गये हैं। जो राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसका User Manual पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि आदर्श आचार सहिंता से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन आयोग एवं पुलिस महानिदेशक को उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30–239/2021–**3347** पटना, दिनांक– 28 **अगस्त, 2021**

प्रतिलिपि : आई0टी0 मनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को आयोग के बेवसाइट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com